



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02022024-251734
CG-DL-E-02022024-251734

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 396]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 2, 2024/माघ 13, 1945

No. 396]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 2, 2024/MAGHA 13, 1945

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2024

का.आ. 420(अ).—केंद्रीय सरकार, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का21) की धारा 70 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड की नाजुक सूचना अवसंरचना होने के कारण म्युचुअल फंड प्रणाली और उसका डेटाबेस से संबंधित कंप्यूटर संसाधनों एवं उनसे सहयुक्त आश्रितताओं के कंप्यूटर संसाधनों को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एतद्वारा संरक्षित प्रणाली घोषित करती है और निम्नलिखित व्यक्तियों को संरक्षित प्रणालियों तक पहुंच बनाने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात्:-

- संरक्षित प्रणाली तक पहुंच बनाने के लिए, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड का कोई अभिहित कर्मचारी;
- संविदात्मक प्रबंधित सेवा-प्रदाता या तृतीय पक्षकार विक्रेता के दल का कोई सदस्य जिसे आवश्यकता के आधार पर पहुंच बनाने के लिए कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत किया गया है; और
- मामला दर मामला के आधार पर, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत कोई परामर्शी, विनियामक, सरकारी पदाधिकारी, संपरीक्षक और पणधारी।

2. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

[फा. सं. 2(5)/2022-सीएल-भाग(2)]

संदीप चटर्जी, वैज्ञानिक जी

MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY**NOTIFICATION**

New Delhi, the 2nd February, 2024

S.O. 420(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 70 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000), the Central Government hereby declares the computer resources relating to the Mutual Fund System and its Database, being Critical Information Infrastructure of the Computer Age Management Services Limited, and the computer resources of their associated dependencies, to be protected systems for the purposes of the said Act and authorises the following persons to access the protected systems, namely:—

- (a) any designated employee of the Computer Age Management Services Limited authorised in writing by the Computer Age Management Services Limited to access the protected system;
 - (b) any team member of contractual managed service provider or third-party vendor who have been authorised in writing by the Computer Age Management Services Limited for need-based access; and
 - (c) any consultant, regulator, Government official, auditor and stakeholder authorised in writing by the Computer Age Management Services Limited on case to case basis.
2. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 2(5)/2022-CL-Part(2)]

SANDIP CHATTERJEE, Scientist G